झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक...................

प्रेषक:

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची अंतर्गत बरटोली मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य में भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 26,93,480/– (रू0 छब्बीस लाख तेरान्वे हजार चार सौ अस्सी) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची अंतर्गत बरटोली मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य में भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 26,93,480/– (रू0 छब्बीस लाख तेरान्वे हजार चार सौ अस्सी) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची के ज्ञापांक–944 दिनांक–18.12.1985 द्वारा रू0 4,99,330/– के लिए प्रदान की गई। अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची द्वारा रू0 4,99,330/– मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे भू–अर्जन हेतु रू0 12,000/– का प्रावधान किया गया था।
3. इस योजना का निर्माण वर्ष 1986–87 में पूर्ण हो गया।
4. इस योजना पर कूल रू0 4,22,898/– मात्र एवं भूअर्जन मद में शून्य भुगतान प्रतिवेदित है।
5. सिमडेगा जिला के कुड़डेग प्रखंड अंतर्गत बरटोली मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण वर्ष 1986–87 में कराया गया जिस हेतु 5.58 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
6. भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राँची के वाद सं0–WP(C) No.- 5971/2008 सावना मांझी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।
7. इस मामले में दि0–18.08.2010 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा न्याय निर्णय पारित किया गया।
8. पारित न्याय निर्णय के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा योजना हेतु 5.58 एकड़ भू–अर्जन के मुआवजा भुगतान हेतु रू0 22,70,577.33 मात्र की अधियाचना की गई है। मामला अवमाननावाद (सिविल)–259/2017 से आच्छादित है।
9. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–45 निर्माण कार्य" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

10. इस योजना के राशि के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
11. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
14. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक....................
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक....................
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक....................
प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक....................
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 ....राँची, दिनांक....................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी0एम0सी0/कार्य/180/2017 4317485-स्वी. ....राँची, दिनांक 03.10.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/x/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

03/10/17